

②

मध्यप्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग,  
-: मंत्रालय :-  
वल्लभ भवन भोपाल

पत्र क्रं.-3441019/2001/136/2015/MPS/31/ 802  
प्रति,

भोपाल दिनांक-12/6/2015

प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
भोपाल म.प्र.

विषय :- रायसेन जिले की बारना वृहद सिंचाई परियोजना के विस्तारीकरण सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) द्वितीय एवं तृतीय चरण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति।  
७-000-६

मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 02 जून 2015 में रायसेन जिले की बारना वृहद सिंचाई परियोजना के विस्तारीकरण सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) द्वितीय एवं तृतीय चरण के कार्य हेतु रूपये 234.56 करोड़ (दो सौ चौंतीस करोड़ छप्पन लाख) मात्र की राज्य की निधि से करने के निर्णय लिये जाने के परिपेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा बारना वृहद सिंचाई परियोजना के विस्तारीकरण सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) कार्य हेतु रूपये 234.56 करोड़ (दो सौ चौंतीस करोड़ छप्पन लाख) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. परियोजना पर होने वाला व्यय मांग संख्या 23 लेखा शीर्ष 4700 (मुख्य सिंचाई पूंजीगत परिव्यय) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

19/6/15  
(व्ही०एस० टेकाम)  
उप सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग  
भोपाल दिनांक-12/6/2015

पृ. क्रं.-3441019/2001/136/2015/MPS/31/ 803  
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त/योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/आदिम जाति कल्याण/ कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. मुख्य अभियंता, बोधी जल संसाधन विभाग, भोपाल।
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद।
4. अधीक्षण यंत्री, तवा परियोजना मण्डल, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद।
5. निज सचिव, मा. मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
6. उप सचिव (बजट) म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
7. कार्यपालन यंत्री, बारना बांयी तट नहर संभाग, बाड़ी जिला रायसेन।
8. संयुक्त संचालक, जन संपर्क विभाग, भोपाल निवेदन है कि शासन द्वारा जारी की गई स्वीकृति के विषयक विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
9. वैब मैनेजर बाह्य वित्त पोषित परियोजना, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वैब साईट में दर्ज करने का कष्ट करें।

19/6/15  
उप सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग